कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर

क्रमांकः—पुलिस अधीक्षक/शाजा/रनि/एमटी/811/26 दिनांक :— 15/04/2026

निविदा सूचना पत्र

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला शाजापुर में उपलब्ध विभिन्न वाहनो के टायर व ट्यूब क्रय दर निर्धारण किए जाने हेतु खुली निविदा निम्न प्रोफार्मा एवं समय सारणी अनुसार https://mptenders.gov.in पर ई.टेण्डरिंग हेतु आमंत्रित की जाती है। ईच्छुक व पात्र निविदाकर्ता पोर्टल पर ऑनलाईन निविदा में सम्मिलित हो सकते है ।

स. क्र.	सामग्री का विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिभूति राशि EMD	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	चार्ट अनुसार टायर व ट्यूब	3,00,000/—	9,000/—	500/—

क्र	विवरण	दिनांक /समय
01	निविदा प्रकाशन दिनांक	15/04/2026
02	निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि	16/04/2026 से (प्रातः 10:00 बजे से)
03	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	06/05/2026 को (सांय 17:00 बजे तक)
04	निविदा खोलने की दिनांक	08/05/2026 को (प्रातः 11:00 बजे)

निविदा की सामान्य शर्ते

1. निविदा में सम्मिलित होने की ईच्छुक फर्म कार्य के संवंध में अधिक विस्तृत जानकारी व निविदा प्रपत्र पत्र 500/— रूपये का शुल्क जमा कर पुलिस लाईन शाजापुर से प्राप्त कर सकते हैं।
2. ई—निविदा 02 भागो में ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे—
   अ. प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी जिसमें निविदा प्रपत्र व फार्म एवं निविदा में चाहे गए अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य हैं।
   ब. द्वितीय भाग में व्यवसायिक निविदा फार्म होगा, जिसमें विभिन्न वाहनो के टायर व ट्यूब की दरें निविदाकार द्वारा दरें निर्धारित प्रोफार्मा बी.ओ.क्यू. में ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी।
3. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा स्वीकृत राशि की 03 प्रतिशत निविदा की प्रतिभूति (EMD) की राशि जो तालिका के खाना क्रमांक 04 में अंकित है पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाना अनिवार्य हैं।
4. निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, एवं न ही इसमें कोई छूट प्रदान की जावेगी। केवल म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 14.1 के पालन में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को स्वयं द्वारा उत्पाद की जाने वाली सामग्री हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु निःशुल्क निविदा फार्म तथा निविदा प्रतिभूति के भुगतान से छूट की पात्रता रहेगी।
5. निविदा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पंजीकृत संस्थाओं (क्रय की जाने वाली वस्तु की निर्माता होना आवश्यक) को प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु निविदाकार को निविदा जारी होने के दिनांक से पूर्व का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. सफल निविदाकार को परफार्मेंस ग्यारन्टी के रूप में राशि 10,000/— रूपये किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चेक, बैंक ग्यारन्टी के रूप में पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर के नाम से बनवाकर कार्यादेश जारी दिनांक से 10 दिवस के अन्दर रक्षित निरीक्षक कार्यालय में जमा की जाना अनिवार्य है। उक्त परफार्मेंस ग्यारन्टी/निष्पादन प्रतिभूति टेण्डर अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद लौटाई जाएगी।

7. सामग्री की गुणवत्ता की जॉच विभागीय क्रय समिति द्वारा की जावेगी। प्रदायित सामग्री निर्धारित/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप होने पर ही स्वीकार की जाकर देयक का भुगतान किया जावेगा।
8. ई–निविदा में दर्शाये अनुसार निविदा की प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) के रूप में वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** ऑनलाईन निविदा में जमा करानी होगी।
9. निविदाकर्ता को बी.ओ.क्यू. में सभी सामग्री का मूल्य दर्ज करना अनिवार्य है किसी सामग्री का मूल्य न होने अथवा निविदाकार द्वारा दर्ज किया गया मूल्य असंगत पाये जाने की दशा में निविदाकार की निविदा अमान्य की जा सकेगी।
10. खुली निविदा मे भारत शासन/राज्य शासन द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई फर्म भाग नहीं ले सकेगी बाद मे उक्त बात प्रकाश में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. सामग्री क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
12. ई–निविदा निर्धारित दिनांक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर, विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी।
13. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का आयकर, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ–साथ विगत (2022–23, 2023–24, 2024–25) तीन वर्षो का एवं वर्तमान में वैध आयकर, सामग्री के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, गुमास्ता पंजीयन की प्रति का अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है। साथ ही निविदाकार को एवं विगत तिमाही की जीएसटी कर अदायगी की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
14. संलग्न किये गये दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पठनीय नहीं होने की दशा में निविदाकार की भागीदारी निरस्त की जावेगी।
15. निविदा में प्राप्त दर के उपरान्त भी यदि खुले वाजार में अन्य फर्म से निविदा में उल्लेखित सामग्री समान अथवा कम दर पर प्राप्त होती है तो विभागीय समिति खुले वाजार से सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
16. निविदाकर्ता से समिति द्वारा कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज निविदा खुलने के वाद मांगे जा सकते है जो प्रदाय करना अनिवार्य है।
17. निविदा में उल्लेखित प्रत्येक सामग्री हेतु पृथक पृथक (एल–1) द्वारा प्रस्तावित दर पर सामग्री क्रय हेतु प्रत्येक सामग्री के न्यूनतम (एल–1) निविदाकर्ता से अनुवंध/कार्यादेश कर पृथक पृथक सामग्री क्रय करने संबंधी निर्णय लेने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर का निर्णय अंतिम होगा।
18. प्रदाय की गई सामग्री के साथ सामग्री की ग्यारंटी वारंटी संवंधी दस्तावेज प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।
19. कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक शाजापुर को है। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक शाजापुर का होगा।
20. निविदा प्रक्रिया किसी भी समय लोकहित/प्रशासकीय कारण /कानून व्यवस्था डयूटी या अन्य किसी भी अपरिहार्य कारणो से स्थगित/शिथिल की जा सकती है
21. तकनीकी निविदा मे त्रुटी होने पर या दस्तावेजो मे कमी होने पर न्यूनतम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी एवं न ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार किया जावेगा ।
22. क्रयादेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में सामग्री उपलब्ध व स्थापन कराना अनिवार्य होगा।
23. निविदा की दरें टेण्डर अनुबंध दिनांक से प्रभावशील होकर 31.03.2027 तक मान्य होगी , प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता , समय पर उपलब्धता एवं कार्य की विश्वसनीयता के आधार पर दोनो पक्षो की सहमति से 03 माह या 01 वर्ष के लिए बढाई जा सकती हैं।
24. क्रय की जाने वाली वस्तु के अधिकृत विक्रेता होने के संबंध में सामग्री निर्माता द्वारा प्रदायित अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
25. निविदाकार को स्वंय का आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है यदि फर्म का पैन कार्ड है तो आवश्यक रूप से संलग्न करे।

26. सफल निविदाकार द्वारा यदि समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तथा उचित कारण दर्शित करते हुए अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करता है, तो बैंक ग्यारंटी सीज कर टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस स्थिति मे द्वितीय निम्न दर वाली फर्म से सामग्री क्रय की जावेगी।

27. भुगतान प्रकिया (निविदा में भुगतान की स्थिति) :– निविदा मे सामग्री क्रय उपरान्त देयको का भुगतान करते समय शासन के नियमानुसार समस्त प्रकार के करो की कटौत्री कर बजट उपलब्ध होने की दशा में भुगतान किया जावेगा।

28. यदि आवंटन उपलब्ध है परन्तु किसी भी तकनीकी समस्या या शासन अथवा किसी भी स्तर से बिलो के आहरण आदि पर प्रतिबंध लगाया जाता है या किसी भी प्रकार के अपरिहार्य कारणो से देयको का भुगतान करने मे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थितिया/समस्या आती है तो समस्या का निराकरण होने के पश्चात ही बिलो का भुगतान किया जावेगा तथा कोई भी तथा किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क का भुगतान नही किया जावेगा न ही विलंब के लिए यह कार्यालय जवाबदार होवेगा।

29. निविदाकार का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड संख्या आपस मे लिंक होना आवश्यक है, इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करे साथ ही निविदाकार द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत बैंक खाते में भी आधार एवं पैन संख्या दर्ज होना आवश्यक हैं।

30. फर्म का टर्नओवरः– निविदाकर्ता की फर्म का विगत तीन वर्षो का टर्नओवर (2022–2023/2023–2024/2024–2025) 10 लाख रूपये वार्षिक से अधिक होना अनिवार्य है। इस हेतु विगत 3 वित्तीय वर्षो का सी.ए. द्वारा जारी यू.डी.आई.एन. वाला प्रमाण पत्र करना होगा।

31. अन्य नियम एवं शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियमो, जीओपी 151/2022 म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशांधित 2022) के प्रावधानो के अनुसार होगी। इसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक शाजापुर का होगा।

पुलिस अधीक्षक
जिला शाजापुर (म.प्र.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vandna Singh
Date: 2026.04.15 16:12:50 IST
Location: Madhya Pradesh-MP